न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सं. 12/2025
सीएमएस : 2025/25

1. महेश्वरी देवी पत्नी लाधुराम जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. प्रवीण कुमार पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. योगेन्द्र कुमार जाखड़ पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—209 आर.टी.एक्ट. व 125—136 एलआरएक्ट

तारीख रजू 22.01.2025

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री गुरप्रतापसिंह अधि. वादी।
2. राजपेरोकार सरकार।

—: निर्णय :— दिनांक :—30.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के नाम से वाके चक 61 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 41/37 में दर्ज अनुसार मुरब्बाा नम्बर 38, 11, 10, 12 की कुल 6.958 है. नहरी बारानी मय खाला खातेदारी भूमि ब.हि.ब. एवं खाता सं. 40/36 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 34, 28 की कुल 1.669 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि है। उपरोक्त भूमि के अलावा वाके चक 7 एन.जेड.पी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 19/16 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 14, 13 की कुल 8.729 है. नहरी बारानी मय खाला खातेदारी भूमि में वादी प्रवीणकुमार के नाम 363/8729 हक एवं हिस्सा यानि 0.363 है. एवं वादी महेश्वरी देवी के नाम 365/8729 यानि 0.365 है. एवं वादी योगेन्द्र कुमार जाखड़ के नाम 52/1247 हक एवं हिस्सा यानि 0.364 है. खातेदारी भूमि एवं खाता सं. 18/17 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 24 की 3.163 है. बारानी खातेदारी भूमि में वादी महेश्वरी देवी के नाम 264/3163 यानि 0.264 है. वादी योगेद्र कुमार जाखड़ के नाम 264/3163 यानि 0.264 है. एवं वादी प्रवीण कुमार के नाम 263/3163 यानि 0.263 है. हक एवं हिस्सा की खातेदारी भूमि एवं चक 2 आई.डब्ल्यू.एम. तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 18/11 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 41 की 6.199 है. बारानी भूमि मे वादी प्रवीणकुमार के नाम 516/6199 यानि 0.516 है. वादी महेश्वरी देवी के नाम 517/6199 यानि 0.517 है. वादी योगेन्द्र कुमार जाखड़ के नाम 517/6199 यानि 0.517 है. हक एवं हिस्सा की खातेदारी भूमि है। हम वादीगण अपनी उक्त भूमि पर लगातार काबिज साधिकार चले आ रहे है व वादीगण के पति/ पिता का सही व वास्तविक नाम लाधूराम है वादी प्रवीणकुमार का सही व वास्तविक नाम प्रवीणकुमार ही है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चक 61 एन.पी. का खाता सं. 41/37, खाता संख्या 40/36 में दर्ज है लेकिन जमाबंदी राजस्व रिकार्ड वाके चक 7 एन. जेड.पी. का खाता सं. 19/16 एवं 18/17 एवं चक 2 आई. डब्ल्यू. एम. का खाता सं. 18/11 में हम वादीगण के रकबा जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण के पति/पिता लाधुराम का नाम सहवन व लिपकीय त्रुटि से [illegible] दर्ज हो गया है तथा इसी प्रकार वादी प्रवीणकुमार का नाम सहवन वा लिपकीय [illegible] प्रवीन कुमार दर्ज हो गया है जबकि वादीगण के पति/पिता का सही व वास्तविक नाम [illegible] है तथा वादी प्रवीण कुमार का नाम प्रवीन कुमार न होकर सही व वास्तविक नाम प्रवीण कुमार है जो हम वादीगण के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज [illegible] दर्ज चला आ रहा है। वादीगा जमाबंदी राजस्व रिकार्ड वाके चक 6 [illegible] तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 19/16 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 14, 13 की कुल 8.729 है. नहरी बारानी मय खाला एवं खाता सं. 18/17 मुरब्बा नं. 24 की 3.163 है. बारानी एवं चक 3 आई. डब्ल्यू. एम.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:46:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

सील रायसिंहनगर का खाता संख्या 18/11 में दर्ज अनुसार मु.नं. 41 की 6.199 है. बारानी तेदारी भूमि में हम वादीगण के नाम से दर्ज रकबा में अपने पति/पिता का नाम लादूराम स्थान लाधुराम वा वादी प्रवीणकुमार अपना नाम प्रवीन कुमार के स्थान पर सही व तविक नाम प्रवीण कुमार दर्ज करवा पाने क विधिक अधिकारी है तथा दुरूस्ती करवा पाने विधिक अधिकारी हैं उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जामबन्दी में हम वादीगण के त/पिता का नाम लाधुराम के स्थान पर लादूराम दर्ज होने व वादी प्रवीण कुमार के नाम के ान पर प्रवीन कुमार दर्ज हुआ होने के कारण इस भिन्नता के चलते हम वादीगण को नी उक्त कृषि भूमि में सुधार आदि वा विकसित आदि करने बाबत् सरकार द्वारा दी जाने ली राहतों व अन्य प्रकार की सुविधाओं आदि से वंचित होना पड़ रहा है व इसके अभाव में । वादीगण अपनी उक्त कृषि भूमि को ज्यादा विकसित करने से वंचित हो रहे है तथा नूनी अड़चन भी आती है इसलिए हम वादीगण उपरोक्त कदर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती रवाना चाहते है। दुरूस्ती होने से वादीगण अपने हक एवं अधिकारों के तहत सरकार द्वारा भिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही राहत राशि व अन्य सुविधाए प्राप्त कर अपनी उक्त मि को ओर ज्यादा विकसित कर सकेगें व उत्पादन आदि को बढा सकेगें जिससें राजस्व व रकार आय में भी बढोतरी होगी इसलिए न्यायहित में उक्त दुरूस्ती का किया जाना ावश्यक एवं न्यायोचित है अन्यथा हम वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा व ना पूरा ने वाला नुकशान भी होगा व हम वादी अपने हक एवं अधिकारों से भी प्रभावित होगें। हम ादीगण द्वारा उक्त कदर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार राजस्व ायसिंहनगर को निवेदन किया जिन्होने प्रथमतः टालमटोल के पश्चात अन्ततः दिनांक 14.01. 025 को इन्कार कर दिया व श्रीमान् जी के समक्ष वाद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया बस ही तारीख बिनाए दावा एवं मुखास्मत दावा है। राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर है तथा ावश्यक पक्षकार है इसलिए उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार से फैसल व डिक्री सादिर फरमाया जावे कि वाके चक 7 एन.जेड.पी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 19/16 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 14, 13 की कुल 8.729 है. नहरी बारानी मय खाला खातेदारी भूमि में वादी प्रवीणकुमार के नाम 363/8729 हक एवं हिस्सा यानि 0.363 है. एवं वादी महेश्वरी देवी के नाम 365/8729 यानि 0.365 है. एवं वादी योगेन्द्र कुमार जाखड़ के नाम 52/1247 हक एवं हिस्सा यानि 0.364 है. एवं खाता सं. 18/17 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 24 की 3.163 है. बारानी खातेदारी भूमि में वादी महेश्वरी देवी के नाम 264/3163 यानि 0. 264 है. वादी योगेद्र कुमार जाखड़ के नाम 264/3163 यानि 0.264 है. एवं वादी प्रवीण कुमार के नाम 263/3163 यानि 0.263 है एवं चक 2 आई.डब्ल्यू.एम. तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 18/11 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 41 की 6.199 है. बारानी भूमि मे वादी प्रवीणकुमार के नाम 516/6199 यानि 0.516 है. वादी महेश्वरी देवी के नाम 517/6199 यानि 0.517 है. व वादी योगेन्द्र कुमार जाखड़ का नाम 517/6199 यानि 0.517 है. घोषित किया जाकर हक घोषणा की डिक्री पारित फरमाया जावे। चक 7 एन. जेड.पी. का खाता सं. 19/16 में दर्ज अनुसार मु.नं. 14, 13 की कुल 8.729 है. नहरी बारानी मय खाला एवं खाता संख्या 18/17 मु.नं. 24 की कुल 3.163 है. बारानी एवं चक 2 आई. डब्ल्यू. एम. का खाता सं. 18/11 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 41 की 6.199 है. बारानी खातेदारी भूमि में हम वादीगण के नाम से दर्ज रकबा में हम वादीगण के पति/पिता का नाम लादूराम के स्थान लाधुराम व वादी प्रवीन कुमार के स्थान पर सही व वास्तविक नाम प्रवीण कुमार दर्ज करने हेतु दुरूस्ती आदेश सादिर फरमाये जावे।

. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकार की तरफ से राजपेरोकार उप तहसीलदार समेजाकोठी ने अंकित किया है कि उक्त तथ्य रिकार्ड की हद तक स्वीकार है अन्य तथ्य को सिद्व करने का भार वादी पर है। जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार रायसिंहनगर ने सरकार की तरफ से अपने ... /2025/2043 दिनांक 28.04.2025 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिकार्ड ... चक 7 एनजैडपी के खाता संख्या 18 व 19 व चक 2 आई.डब्ल्यू.एम ... प्रार्थीयान के नाम महेश्वरी देवी पत्नी लादूराम, प्रवीन कुमार पुत्र लादूराम व योगेन्द्र ... जाखड़ पुत्र लादूराम दर्ज है। चक 61 एनपी के खाता संख्या 41 में प्रार्थीयान ... लाधूराम, प्रवीण कुमार पुत्र लाधुराम एवं योगेन्द्र कुमार जाखड़ पुत्र लाधु... दर्ज है। वादीगण अपना मुताबिक पहचान पत्र दस्तावेज व चक 61 एनपी के खाता संख्या 41 के अनुसार महेश्वरी देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:46:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

ी लाधूराम, प्रवीण कुमार पुत्र लाधूराम, योगेन्द्र कुमार जाखड़ पुत्र लाधूराम करवाना चाहता मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी चक 61 एनपी के खाता संख्या 41 व रिपोर्ट पटवारी के ुसार प्रार्थीया महेश्वरी देवी अपने पत्नी का नाम लादूराम के स्थान पर लाधूराम तथा अपने का नाम प्रवीन कुमार के स्थान पर प्रवीण कुमार व इनकी वलदियत लादूराम के स्थान लाधूराम व योगेन्द्र कुमार जाखड़ की वलदीयत लादूराम के स्थान लाधूराम किया जाना चेत है। चक 7 एन.जैडपी के खाता संख्या 18 व 19 चक 2 आईडब्ल्यू के खाता संख्या 18 प्रार्थीयान महेश्वरी देवी पत्नी लाधूराम, प्रवीण कुमार पुत्र लाधुराम व योगेन्द्र कुमार जाखड़ ा लाधूराम की दुरूस्ती की जानी उचित

दी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण अपना मुताबिक पहचान पत्र दस्तावेज चक 61 एनपी के खाता संख्या 41 के अनुसार महेश्वरी देवी पत्नी लाधूराम, प्रवीण कुमार त्र लाधूराम, योगेन्द्र कुमार जाखड़ पुत्र लाधूराम करवाना चाहता है। वादी अधिवक्ता ने वाद त्र में अंकित बिन्दू अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर पलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया व वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत ाधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट व संलग्न स्तावोजों के आधार पर वादीगण का पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

ातः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88–209 आरटीएक्ट एवं 36–125 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक एन.जेड.पी. के खाता सं. 18 व 19 एवं चक 2 आई. डब्ल्यू. एम. के खाता सं. 18 में ादीगण के नाम परमेशरी देवी पत्नी लादूराम के स्थान परमेश्वरी देवी पत्नी लाधुराम व प्रवीन कुमार पुत्र लादूराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम प्रवीण कुमार पुत्र लाधूराम व योगेन्द्र कुमार जाखड. पुत्र लादूराम के स्थान पर योगेन्द्र कुमार जाखड. पुत्र लाधूराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते है शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:46:58 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

डिक्री व मुकदमेंइत्वदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :– सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस.)

सं. 12/2025
सीएमएस : 2025/25

1. महेश्वरी देवी पत्नी लाधुराम जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. प्रवीण कुमार पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. योगेन्द्र कुमार जाखड़ पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–209 आर.टी.एक्ट. व 125–136 एलआरएक्ट

——निर्णय——

दिनांक : 30.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालकतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री गुरप्रतापसिंह अधिवक्ता वादी, राजपैरोकार प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है डिक्री की जाती है कि:–वाद वादी स्वीकार किया जाता हैं। तथा इस आश्य की घोषणात्मक डिक्री पारित की जाती हैं कि– वाके चक 7 एन.जेड.पी. के खाता सं. 18 व 19 एवं चक 2 आई. डब्ल्यू. एम. के खाता सं. 18 में वादीगण के नाम परमेश्री देवी पत्नी लादूराम के स्थान परमेश्वरी देवी पत्नी लाधुराम व प्रवीन कुमार पुत्र लादूराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम प्रवीण कुमार पुत्र लाधूराम व योगेन्द्र कुमार जाखड़. पुत्र लादूराम के स्थान पर योगेन्द्र कुमार जाखड़. पुत्र लाधूराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

डिक्री आज दिनांक 30.05.2025 को जारी की गई।

सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
दिनांक: 2/6/25

क्रमांकःरीडर/2025/707
प्रतिलिपिः–
1. तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित है।

सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:46:58 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner